न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर, जिला पाली।

पीठासीन अधिकारी– श्री महीपाल भारद्वाज, आर.ए.एस.

सीलिंग प्रकरण सं. 23/2002 (111/1979) न्यू–सीलिंग एक्ट
दायरा तिथि 29.06.2002
निर्णय तिथि 30.03.2016

प्रार्थी :–	बनामः	अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर		मूत–लालसिंह पुत्र समरथसिंहजी जाति राजपूत निवासी पाल तहसील जोधपुर (राजस्थान) (लाऔलाद फौत)

राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973

उपस्थित :–
1–प्रार्थी की ओर से सरकार पैराकार

–: नि र्ण य :–

उपरोक्त सीलिंग प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

(1) कि राजस्थान सरकार की ओर से प्रार्थी तहसीलदार बाली हाल सुमेरपुर द्वारा अप्रार्थी लालसिंह पुत्र समरथसिंहजी जाति राजपूत निवासी पाल तहसील जोधपुर (राजस्थान) के विरूद्ध राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 के तहत यह परिवाद पेश होने पर पंजीबद्ध किया जाकर कतिपय प्रावधान के तहत दिनांक 01.01.1973 को अप्रार्थी द्वारा धारित व हस्तान्तरित भूमि के विवरण बाबत् धारा 10 के तहत सूचना पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया, साथ ही धारा 12 का प्रारूप विवरण (Draft Statement) जारी किया गया, परन्तु अप्रार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में अपेक्षित घोषणा–पत्र व प्रारूप विवरण (Draft Statement) का जवाब पेश नहीं होने पर तहसीलदार बाली ने पत्रांक/सीलिंग/517 दिनांक 25.10.1980 के जरिए अप्रार्थी द्वारा धारित भूमि व हस्तान्तरण की सूचना पेश की जिसके अनुसार दिनांक 01.01.1973 को ग्राम कोसेलाव की सरहद में स्थित खसरा नं. 27/11 रकबा 67 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 25 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 72 बीघा 14 बिस्वा किस्म जवाई दोयम भूमि अप्रार्थी द्वारा धारित करना दर्शाया तथा इस धारित सुदा भूमि में से अवधि 26.09.1970 से 31.12.1972 के मध्य तक अप्रार्थी द्वारा खसरा नं. 27/11 में से रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं. 25 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा किस्म जवाई दोयम भूमि दिनांक 12.09.1972 को गजेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह कौम राजपूत निवासी जोधपुर के नाम हस्तान्तरण की गई। इसके अलावा तहसीलदार जोधपुर ने पत्रांक/606 दिनांक 10.03.1981 के जरिए अप्रार्थी के पिता के नाम ग्राम पाल तहसील जोधपुर में 16 बीघा 8 बिस्वा भूमि होना दर्शाया है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

लगातार–2

Scanned by CamScanner

(2) कि कथित प्रकरण में हाल भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव तथा तहसीलदार सुमेरपुर ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार अप्रार्थी लालसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है। अप्रार्थी मृत लालसिंह के विधिक वारिसान हो, के बारे में किसी प्रकार की सूचना प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। कथित जांच रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया है कि लालसिंह ने अपने जीवनकाल में गत् खसरा नं. 27/1 व खसरा नं. 25 में से रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा भूमि गजेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह कौम राजपूत निवासी जोधपुर को बैचान कर दी जिसके वर्तमान खसरा नं. 79 व 80 रकबा 5.67 हेक्टर बने है और उक्त सम्पूर्ण भूमि गजेन्द्रसिंह ने पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र चामुण्डसिंह राजपूत निवासी पाल कृषि फार्म कोसेलाव को बैचान कर दी है। इसके अलावा लालसिंह द्वारा शेष भूमि रकबा 2.96 हेक्टर चामुण्डसिंह पुत्र आईदानसिंह व रकबा 3.00 हेक्टर मानसिंह पुत्र आईदानसिंह को बैचान कर दी। लालसिंह से खरीद की गई भूमि मानसिंह ने नरपतसिंह पुत्र आईदानसिंह को बैचान कर दी। वर्तमान राजस्व रेकर्ड स्थिति अनुसार खसरा नं. 79 व 80 रकबा 5.67 हेक्टर गजेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह के नाम, खसरा नं. 68 रकबा 2.96 हेक्टर चामुण्डसिंह पुत्र आईदानसिंह के नाम, खसरा नं. 68/1692 रकबा 3.00 हेक्टर नरपतसिंह पुत्र आईदानसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है।

(3) कि हमने, इस प्रकरण बाबत् प्रार्थी की एकपक्षीय बहस दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन व गहण परीक्षण किया। फलस्वरूप हमने पाया कि प्रश्नगत् भूमि ग्राम कोसेलाव के जवाई कमाण्ड क्षेत्र में स्थित होने से कतिपय अधिनियम की धारा 4(1)(ए) के तहत ग्राम कोसेलाव सिंचित क्षेत्र में आता है। दिनांक 01.01.1973 को अप्रार्थी की एक ही यूनिट थी, जैसा कि न्यू सीलिंग एक्ट के तहत एक यूनिट को सिंचित क्षेत्र में 45 बीघा (18 एकड) भूमि धारित करने का प्रावधान है, परन्तु अप्रार्थी द्वारा दिनांक 01.01.1973 को ग्राम कोसेलाव की सरहद में स्थित गत् खसरा नं. 27/11 रकबा 67 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं. 25 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 72 बीघा 14 बिस्वा किस्म जवाई दोयम भूमि धारित कर रखी थी, इसके अलावा प्रश्नगत् भूमि के बारे जो अन्तरण या हस्तान्तरण हुए है उन व्यक्ति–विशेष को विधिनुसार प्रथमतः सद्भाविक काश्तकार नहीं माना जा सकता तथा ना ही ऐसे अन्तरण या हस्तान्तरण विधिमान्य प्रतीत होते है।

चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड स्थिति अनुसार अप्रार्थी लालसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है तथा उनके विधिक वारिसान की सूचना प्रार्थी द्वारा रेकर्ड पर प्रस्तुत नहीं की है, ऐसी स्थिति में हमारे विधिक विचारों के अनुसार अप्रार्थी द्वारा दिनांक 01.01.1973 को धारित सुदा सम्पूण भूमि रकबा 72 बीघा 14 बिस्वा किस्म जवाई दोयम कतिपय प्रावधानों के तहत राज्यहित में अधिग्रहण किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

लगातार–3

Scanned by CamScanner

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचन तथ्यों के परिणामतः यह परिवाद कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कोसेलाव तहसील सुमेरपुर में स्थित गत् खसरा नं. 27/11 रकबा 67 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं. 25 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 72 बीघा 14 बिस्वा किस्म जवाई दोयम जिसके वर्तमान खसरा नंबर व क्षेत्रफल बना हो, को राज्यहित में विधिवत् अधिग्रहण किए जाने का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर उपरोक्त निर्णयानुसार ग्राम कोसेलाव के गत् खसरा नं. 27/11 रकबा 67 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं. 25 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 72 बीघा 14 बिस्वा किस्म जवाई दोयम से बने वर्तमान खसरान व क्षेत्रफल का मिलान करते हुए राज्यहित में अधिग्रहण सुदा भूमि का नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जावे, तत्पश्चात् उपरोक्त अधिग्रहण सुदा भूमि के आवंटन हेतु विधिवत् कार्यवाही सुनिश्चित करे और जब तक आवंटन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो, तब तक इस भूमि की निगरानी व प्रतिवर्ष काश्त के लिए समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करे। माफिक निर्णय अनुपालना हेतु निर्णय की सत्यापित–प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को भेजी जावे।

निर्णय बरोज आज दिनांक 30.03.2016 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
सुमेरपुर (पाली)